भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या – *281
दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

श्रीलंका की नौसेना द्वारा मछुआरों को गिरफ्तार किया जाना

***281. श्री ए. राजा**

श्री अरुण नेहरूः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वर्ष-वार श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिलनाडु के कितने मछुआरों को गिरफ्तार किया गया, उन पर हमला किया गया और उनकी नौकाओं को जब्त किया गया है;

(ख) कितने मछुआरे और नौकाएं अभी भी श्रीलंका के प्राधिकारियों की हिरासत में हैं;

(ग) इस अवधि के दौरान जेल में बंद इन भारतीय मछुआरों और उनकी जब्त की गई नौकाओं की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से विशिष्ट राजनयिक प्रयास और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ताएं शुरू की गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे मछुआरों के परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का आकलन किया है जिनकी मछली पकड़ने वाली नौकाएं अभी भी श्रीलंका की हिरासत में हैं;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान इन मछुआरों के लिए निष्पक्ष न्यायिक सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता अथवा कानूनी सहायता प्रदान की गई है; और

(च) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी को रोकने तथा मछुआरों और मछली पकड़ने वौली नौकाओं की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका के साथ मिलकर एक स्थायी द्विपक्षीय तंत्र बनाने का है?

उत्तर

विदेश मंत्री

(डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"श्रीलंका की नौसेना द्वारा मछुआरों को गिरफ्तार किया जाना" के संबंध में दिनांक 07.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 281 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

भारतीय मछुआरों को समय-समय पर श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा (आईएमबीएल) पार करने एवं श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा तमिलनाडु के ऐसे मछुआरों जो हिरासत में लिए गए हैं, जिन पर हमला किया गया/जो घायल हुए हैं तथा जिनकी नौकाएं जब्त की गई हैं, का विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	**हिरासत में लिए गए तमिलनाडु के मछुआरों की संख्या**	**तमिलनाडु के मछुआरों की संख्या जिन पर हमला किया गया/जो घायल हुए**	**तमिलनाडु की जब्त की गई नौकाओं की संख्या**
2026*	119	शून्य	17
2025	317	01	43
2024	526	04	72
2023	220	01	33
2022	229	शून्य	31
2021	143	04	19

** 31 जुलाई 2026 तक*

दिनांक 31 जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु के 27 मछुआरे और तमिलनाडु से संबंधित 249 मछली पकड़ने वाली नौकाएँ श्रीलंका की हिरासत में हैं।

भारत सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार इन मुद्दों, जिसमें भारतीय मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी शामिल है, को लगातार द्विपक्षीय माध्यमों, राजनयिक चैनलों और विभिन्न आधिकारिक एवं उच्च स्तरीय वार्ताओं द्वारा श्रीलंका सरकार के साथ उठा रही है। हमारी सभी चर्चाओं में, यह अवगत कराया गया है कि इस मुद्दे पर पूरी तरह से मानवीय और आजीविका के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मछुआरों से जुड़े सभी मामलों को मत्स्य पालन संबंधी संयुक्त कार्य समूह की बैठकों जैसे द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय तंत्र के माध्यम से भी निपटाया जाता है, जिसमें तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

इसके अतिरिक्त, श्रीलंका स्थित भारतीय मिशन और कोंसलावास के अधिकारी स्थानीय भारतीय मछुआरों की स्थिति का पता लगाने, उनकी कुशलता सुनिश्चित करने तथा उनकी शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी में मदद के लिए आवश्यक सहायता और कानूनी मदद उपलब्ध कराने के लिए जेलों और डिटेंशन केन्द्रों का नियमित दौरा करते हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय मछुआरों को कानूनी मदद और स्वदेश वापसी के लिए दी गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	**कुल वित्तीय सहायता (भारतीय रूपए में)**
2025-2026	6,838,142
2024-2025	6,121,124
2023-2024	5,521,638

तमिलनाडु समेत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मछुआरों की आर्थिक चिंताओं का समाधान करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, सरकार अनेक पहलें कर रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास के साथ-साथ मछुआरों की आजीविका को बढ़ावा देना शामिल है ।
